10

जेंडर समावेशन के प्रश्न और हिंदी की पाठ्यपुस्तकें

मो. फ़ैसल*
ऐमन सैयद**

जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। इसमें स्त्री, पुरुष एवं ट्रांसजेंडर सभी शामिल हैं। विगत कुछ वर्षों से जेंडर संवेदनशीलता का मुद्दा अत्यंत ज्वलंत मुद्दा बनकर उभरा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निश्चय ही स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बदलाव तो आया है, उनकी साक्षरता दर भी अवश्य बड़ी है लेकिन इन बदलावों के बावजूद आज भी महिलाओं को लेकर हमारी सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं व सोच में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आया है। लिंग आधारित भेदभाव जनित रूढ़िग्रस्त मानसिकता में बदलाव लाना एक चुनौती है, जिसका सामना निश्चय ही शिक्षा व्यवस्था में सुनियोजित बदलाव लाकर किया जा सकता है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी यह सुझाव दिया गया है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु शिक्षा को एक एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चूँकि, पाठ्यपुस्तकें औपचारिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग होती हैं, अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित सामग्री ज्ञानवर्धक, रोचक होने के साथ-साथ सामाजिक भेदों का नाश करने वाली व लैंगिक समानता के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने वाली हों। इसी संदर्भ में *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में कहा गया है— "किसी भी ऐतिहासिक व समकालीन विषय पर चर्चा के दौरान जेंडर संबंधित सरोकारों को संबोधित करना ज़रूरी है। इसके लिए सामाजिक विज्ञान व अन्य विषयों में प्रचलित पितृसत्तात्मक मान्यताओं में बदलाव की आवश्यकता है।" अतः प्रस्तुत शोध आलेख में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्मित प्राथमिक स्तर की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तकों (*रिमझिम श्रृंखला*) का जेंडर समावेशन या संवेदनशीलता के संदर्भ में सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

© NCERT not to be republished

भूमिका

भारतीय संविधान में सभी को धर्म, जाति, भाषा, लिंग (स्त्री, पुरुष एवं ट्रांसजेंडर) आदि के आधारों पर समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि हम जेंडर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो निश्चय ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। उन्होंने घर की दहलीज के बाहर कदम रखकर पुरुषों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। कहना गलत न होगा कि यह सारे बदलाव शिक्षा के माध्यम से ही

* *शोधार्थी (पी.एच.डी.),* आई. ए. एस. ई., शिक्षा-संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली
** *विद्यार्थी,* एम. एड. (2017–2019), शैक्षिक अध्ययन विभाग, शिक्षा-संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली

संभव हो सके हैं। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू यह है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्ति के बाद भी हमारी मानसिकता में वह अपेक्षित बदलाव नहीं आया, जिसकी अपेक्षा हम शिक्षा के माध्यम से कर रहे थे। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो संविधान बनने व आधुनिक शिक्षा प्राप्ति के बाद भी लोगों का व्यवहार तो बदला हुआ प्रतीत होता है लेकिन सोच आज भी उन्हीं दायरों में कैद है। आज भी समाज में कई मान्यताएँ छिपे रूप से कार्य करती हैं। लिंग-भेद उनमें से एक है। आज भी अधिकांश परिवारों में संतान उत्पत्ति के संदर्भ में पुत्र होने की प्रबल अभिलाषा देखी जा सकती है क्योंकि कुछ समाजों के रीति-रिवाजों और कर्मकांडो में यह मान्यता निहित है कि पुत्र ही दाह संस्कार की प्रक्रिया करेगा। भारत सरकार के द्वारा बच्चियों के संरक्षण और संर्वक्षण हेतु अनेक योजनाएँ बनाई हैं तथा लागू की गई हैं। इसके साथ ही कठोर गैर कानूनी नियमों का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि आज भी कुछ पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों के पालन-पोषण को एक दायित्व न मानकर एहसान मानते हैं। लेकिन अभिभावकों को यह ध्यान में रखना चाहिए की बेटियों का भी अपना अलग व्यक्तित्व है। वे भी सक्षम हैं। वे सृष्टि के निर्माण में महत्वी भूमिका निभाती हैं।

सेक्स और जेंडर में अंतर

यद्यपि लिंग (सेक्स) तथा लिंगभेद (जेंडर) दोनों पदों को सामान्यत: एक दूसरे के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु फिर भी किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण प्राकृतिक आधार पर ही किया जा सकता है जबकि जेंडर सामाजिक या सांस्कृतिक धारणा है। लिंग के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन लक्षणों से होता है जो किसी व्यक्ति पर उसके पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर होने को बताते हैं।

सेक्स एक जैविक शब्दावली है, जो स्त्री व पुरुष में जैविक भेद को प्रदर्शित करती है। वहीं जेंडर शब्द स्त्री और पुरूष के मध्य सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। जेंडर शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि जैविक भेद के अतिरिक्त जितनें भी भेद दिखते हैं, वे प्राकृतिक न होकर समाज द्वारा बनाए गए हैं और इसी में यह बात भी सम्मिलित है कि अगर यह भेद बनाया हुआ है तो दूर भी किया जा सकता है।

बीसवीं शताब्दी में सिमोन द बाउवा ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक *द सेकेंड सेक्स* में कहा था कि भगवान मनुष्य को नर और मादा के रूप में पैदा करता है लेकिन समाज उनको मर्द और औरत बना देता है। समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के पीछे पूरी सामाजीकरण की प्रक्रिया है, जिसके तहत बचपन से ही बालक-बालिका का अलग-अलग ढंग से पालन और पोषण किया जाता है। लड़कियों को घर के अंदर के कामकाज अच्छी तरह सिखाए जाते हैं जबकि लड़कों को बाहर के काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हालाँकि यह नहीं कहा जा सकता कि किसी तरह के किसी काम को करने में कोई बुराई है। परंतु काम के इस वर्गीकरण से बहुत सी लड़कियों की प्रतिभा दबी की दबी रह जाती है और बहुत से लड़के भी मानसिक विकृतियों के शिकार हो जाते हैं। उदाहरणार्थ छोटे बच्चों को अकसर यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए। हम उनसे भावात्मक बातें नहीं करते जिससे वे अंदर ही

© NCERT not to be republished

अंदर घुटते रहते हैं। कुल मिलाकर जेंडर आधारित भेदभाव न सिर्फ़ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी एक बने बनाए ढाँचे में जीवन जीने के लिए विवश कर देता है।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था

यह एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत पुरुषों को स्त्रियों से श्रेष्ठ समझा जाता है तथा पुरुषों को परिवार व समाज में स्त्रियों व बच्चों पर प्रभुत्व कायम करना होता है और बदले में पुरुष, स्त्रियों को आर्थिक सहयोग व सुरक्षा देते हैं। इस व्यवस्था के तहत स्त्रियाँ पुरुषों को अपना रक्षक मानती है और यह स्वीकार करती हैं कि पुरुष ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हो जाती हैं तो उन पर नियंत्रण स्थापित करना ज़्यादा आसान हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें महिलाएँ अपनी कमज़ोर सामर्थ्य के कारण अपनी आर्थिक-सामाजिक पराधीनता को समझ ही नहीं पातीं और आमतौर पर इस व्यवस्था को आत्मसात करके इसको बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग भी देती हैं।

महिलाएँ धर्म, मिथक आधारित सांस्कृतिक मॉडलों के पूरे असर में जीती हैं। नारीवादी विद्वान उमा चक्रवर्ती के अनुसार— "जो स्त्रियाँ इस पितृसत्तात्मक समाज के आगे सिर झुका देती हैं उनको समाज द्वारा देवी, माता, लक्ष्मी पतिव्रता जैसे पूजनीय शब्दों के तमगे दिए जाते हैं और उनको समाज में सुरक्षा तथा सम्मान प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो स्त्रियाँ इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, समाज उनको कुलटा की संज्ञा देता है।" (निरंतर ट्रस्ट, 2010) अतः कहना अनुचित न होगा कि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को सुरक्षा व सम्मान के नाम पर सोने के पिंजरे में बंद उस चिड़िया की तरह कैद कर दिया जाता है जो चाहकर भी उड़ नहीं सकतीं।

लिंग आधारित रूढ़िग्रस्त मानसिकता में बदलाव हेतु पाठ्यपुस्तकों की भूमिका

यद्यपि *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा* 2005 में कहा गया है कि पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान प्राप्ति के एकमात्र स्त्रोत या अंतिम साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। किंतु वास्तविकता यह है कि हमारे देश में अधिकतर पाठ्यपुस्तकें ही ज्ञान का प्रमुख साधन हैं। चूँकि, पाठ्यपुस्तकों की मूल्यों के विकास में अहम भूमिका होती है। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित सामग्री ज्ञानवर्धक, रोचक व चिंतन कौशल को विकसित करने वाली हो। पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पाठ्य सामग्री में हाशिए पर जीवनयापन कर रहे वर्गों, सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से शोषित जनों को स्थान देना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित विषय सामग्री बच्चों में लैंगिक समानता के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने वाली हो जिससे समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदों, असमानताओं का विशेषकर लैंगिक विभेदों का नाश किया जा सके और एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सके। प्राथमिक स्तर पर तो पाठ्यपुस्तकों की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि पाठ्यपुस्तकों में दिए गए रंग-बिरंगे चित्र, मनोहर कथाएँ व दिलचस्प कविताएँ बच्चों के कोमल मन को बहुत लुभाती हैं। ये रंग-बिरंगे

© NCERT not to be republished

चित्र न केवल किताब को आकर्षित बनाते हैं बल्कि बच्चों में अनेक मूल्यों के विकास में भी सहायक सिद्ध होते हैं। अतः इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत शोध आलेख में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्मित प्राथमिक स्तर की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तकों का जेंडर समावेशन या संवेदनशीलता के संदर्भ में सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो निम्नलिखित है— प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का अंतर्वस्तु विश्लेषण पाठ्यपुस्तक की पाठ्यसामग्री के साथ-साथ पाठ्यपुस्तक में दिए गए रंग-बिरंगे चित्रों, अभ्यास प्रश्नों व अध्यापक के शिक्षण कौशल को दृष्टि में रखकर ही किया जाना चाहिए क्योंकि प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों व अभ्यास प्रश्नों की बहुत अहम भूमिका होती है। अतः *रिमझिम श्रृंखला* की पाठ्यपुस्तकों का अंतर्वस्तु विश्लेषण पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्रों, अभ्यास प्रश्नों व अध्यापक के शिक्षण कौशल को दृष्टि में रखकर ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रस्तुत शोध आलेख में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्मित प्राथमिक स्तर की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तकों का सारगर्भित अंतर्वस्तु विश्लेषण उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टि में रखकर तथा निम्नलिखित मापदंडों को आधार बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो निम्नवत हैं—

- जेंडर आधारित सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर,
- जेंडर समानता व महिला-सशक्तिकरण के दृष्टिकरण से,
- जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह व रुढ़िवादी मानसिकता के दृष्टिकोण से।

लैंगिक समानता व रिमझिम की रचनाएँ

प्राथमिक स्तर की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करने के उपरांत स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होता है कि इनमें जेंडर समानता व महिला-सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बड़े ही सुंदर ढंग से मुखरित हुआ है। जेंडर समानता व महिला-सशक्तिकरण के अनेक उदाहरण *रिमझिम श्रृंखला* की पाठ्यपुस्तकों में अनेक स्थानों पर दृष्टव्य होते हैं। यथा *रिमझिम भाग-1* के 'झूला' नामक पाठ में समाज में व्याप्त उस रुढ़िवादी मानसिकता पर कटु प्रहार किया गया है जिसके तहत लड़के और लड़कियों के खेलों में भी भिन्नता पायी जाती है। पाठ में लड़के और लड़कियों को परस्पर मिल जुलकर सभी प्रकार के खेल खेलते हुए दिखाया किया गया है जो निश्चय ही नन्हे बालकों के कोमल चित्त पर जेंडर संवेदनशीलता के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करता है। इसी प्रकार आमतौर पर लोक-कथाओं में महिलाओं की परंपरागत रुढ़िवादी छवि ही प्रस्तुत की जाती है। लेकिन *रिमझिम श्रृंखला* की पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत की गई लोक कथाओं में महिला पात्रों को हिम्मत व सूझबूझ में अपने समकक्ष पुरुष पात्रों की तुलना में बढ़-चढ़कर ही चित्रित किया गया है। *रिमझिम भाग-2* की कविता 'म्याऊँ-म्याऊँ' इसका अच्छा उदाहरण है, जिसमें बालिका पात्र पहले तो चुहिया से डरती हुई प्रतीत होती है लेकिन फिर

तुरंत ही उसे चुहिया को डराने का उपाय भी सूझ जाता है। कविता नन्हीं बालिका की बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। *रिमझिम भाग-3* के पाठ 'बहादुर बित्तो' में भी महिला पात्र को बहादुर व चतुर दिखाया गया है जो उस रुढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करती हुई प्रतीत होती है, जिसके तहत महिलाओं को पुरुषों की तुलना में डरपोक समझा जाता है। पाठ में किसान को डरपोक जबकि उसकी पत्नी को बहादुर व चतुर चित्रित गया है जो अपनी बहादुरी व विवेक चातुर्य से शेर पर काबू पा लेती है। इसी प्रकार *रिमझिम भाग-5* की तिब्बती लोक-कथा 'राख की रस्सी' भी इस दृष्टि से एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। पाठ की बालिका पात्र अपने विवेक चातुर्य से सबको चकित कर देती है। हम जानते हैं कि अधिकतर पाठ्यपुस्तकों में पढ़ना-लिखना जैसे कार्य करते हुए पुरुषों को ही दिखाया जाता है। लेकिन *रिमझिम भाग-2* में 'मेरी किताब' नामक कहानी की स्त्री पात्र वीरू सभी नन्हीं पाठिकाओं के दिलों में पढ़ने के रुझान को जगाती हुई चित्रित की गई है। वह रंग-बिरंगी पुस्तकों की ओर न केवल आकर्षित होती है बल्कि उन्हें पढ़ना भी चाहती है। पितृसत्तात्मक समाज में आमतौर पर घरेलू कार्य लड़कियों के ही समझे जाते हैं लेकिन *रिमझिम भाग-4* के पाठ 'थप रोटी थप दाल' में सभी बच्चे मिल जुलकर सारे काम करते चित्रित किए गए हैं। वे मिलकर दाल-रोटी बनाते हैं और भरपूर आनंद उठाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ जेंडर समानता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। जहाँ पितृसत्तात्मक समाज में घर के अहम निर्णय लेने का अधिकार केवल पुरुष सदस्यों के पास ही होता है, वहीं *रिमझिम भाग-4* की कविता 'उलझन' इस दृष्टि से भी जेंडर समानता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती प्रतीत होती है। कविता में विभिन्न पात्रों को निर्णय लेते दिखाया गया है। कविता में माँ, चाची, दादी आदि स्त्री पात्रों को भी अपनी बात कहने का अवसर मिला है। इस प्रकार यह कविता इस मिथक को तोड़ती है कि पुरुष ही निर्णय ले सकते हैं। *रिमझिम भाग-4* की कहानी 'सुनीता की पहिया कुर्सी' तो महिला-सशक्तिकरण की दृष्टि से एक अद्‌भुत मिसाल पेश करती है जिसमें सुनीता नामक स्त्री पात्र जो चल फिर नहीं सकती लेकिन फिर भी वह अपने किसी भी कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहती बल्कि पहिया कुर्सी पर बैठकर अपने सारे काम खुद करती है। ठीक इसी तरह *रिमझिम भाग-5* की 'जहाँ चाह वहाँ राह' की इला अपने पैरों से कसीदाकारी करके अपने हिम्मत की अनूठी मिसाल नन्हे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करती है। पाठ्यपुस्तकों का चित्रों की दृष्टि से अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि जहाँ एक ओर पाठ्यपुस्तकें चित्रों के माध्यम से महिला-सशक्तिकरण को विकसित करने तथा जेंडर-संवेदनशीलता के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण उजागर करने में अपना विशेष योगदान देती है तो दूसरी तरफ कुछ चित्र जेंडर-भेदभाव व जेंडर-पूर्वाग्रह को भी प्रदर्शित करते हुए प्रतीत होते हैं। यदि लैंगिक समानता को प्रदर्शित करने वाले चित्रों की बात करें तो इसकी शुरुआत *रिमझिम-1* से ही हो जाती है। हिंदी की पाठ्यपुस्तक *रिमझिम भाग-1* में अनेक चित्रों में जगह-जगह पर लड़कियों को हाथ में पेंसिल-पुस्तकें पकड़े चित्रित किया गया है। इस प्रकार के चित्र सभी

© NCERT not to be republished

बच्चों फिर चाहे वे लडके हो या लड़कियाँ एक समान रूप से सभी के दिलों में पढ़ने के प्रति रुझान को जगाते हैं। *रिमझिम भाग-1* के ही पाठ 'रसोईघर' में जहाँ एक चित्र में रसोईघर में एक महिला को खाना बनाते दिखाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ इसी पाठ के एक अन्य चित्र में एक बालक को भी थाली में कुछ बीनते दिखाया गया है यह चित्र निश्चय ही लैंगिक समानता की भावना को बढ़ावा देते हुए सभी बच्चों यह संदेश देता है कि हम सभी को फिर चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, एक समान रूप से मिल-जुलकर घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए।

रिमझिम की रचनाओं में अभ्यास प्रश्न व गतिविधियाँ

मूल्यों के विकास में पाठ्यपुस्तकों में दिए गए अभ्यास प्रश्नों व गतिविधियों की विशेष भूमिका होती है क्योंकि मूल्य, कक्षा में मात्र भाषण देकर विकसित नहीं किए जा सकते। मूल्यों के विकास के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के साथ कक्षा में पाठ्यसामग्री पर भरपूर चर्चा की जाए उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान किए जाए जिससे प्रभावित होकर बच्चे मूल्यों को आत्मसात करें। *रिमझिम श्रृंखला* की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करने के उपरांत हमें ज्ञात होता है कि *रिमझिम* की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास व गतिविधियों का पर्याप्त समावेशन किया गया है। ये अभ्यास और गतिविधियाँ निश्चय ही लैंगिक रुढ़िवादी मानसिकता को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरणार्थ *रिमझिम भाग-1* की रचना 'हलीम चला चाँद पर' में हलीम को चाँद पर जाते दिखाया गया है लेकिन अभ्यास प्रश्नों में पूछा गया है कि हलीम चाँद पर जाना चाहता है तुम कहाँ जाना चाहती हो? इस तरह कहना अनुचित न होगा कि अभ्यास प्रश्नों के द्वारा सभी नन्हीं पाठिकाओं को अपने मन की बात कहने का पर्याप्त अवसर प्रदान गया है। *रिमझिम भाग-3* की रचना 'चाँद वाली अम्मा' में एक बूढ़ी अम्मा जो बिल्कुल अकेली रहती है उनको अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। कहानी के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों में पूछा गया है कि तुम्हारे घर में यह काम कौन-कौन करता है? निश्चय ही इस प्रश्न के द्वारा बच्चों में यह मूल्य विकसित किए जा सकते हैं कि घर का काम करना केवल महिलाओं की ही ज़िम्मेदारी नही होती और हम सभी को मिल जुलकर घर के काम करने चाहिए। इसी प्रकार *रिमझिम भाग-4* की रचना 'थप रोटी थप दाल' के बाद अभ्यास है — 'तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या-क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो।' इस सवाल का जवाब देने के लिए बच्चों को लिखना पड़ेगा कि वे खाना बनाने में किस प्रकार सहायता करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान उन्हें यह एहसास होगा कि उन्हें भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार चर्चा के दौरान उनमें यह संवेदनशीलता विकसित की जा सकती है कि घर के काम हम सबको मिल-जुलकर ही करने चाहिए। *रिमझिम भाग-3* की रचना 'जहाँ चाह वहाँ राह' में पाठ के अंत में एक अभ्यास दिया गया है— एक सादा रूमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ। उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। इस अभ्यास के अंत में निर्देश दिया गया है— ये काम कक्षा के लड़के-लड़कियाँ सब करें। अर्थात

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तक लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन नहीं करती। *रिमझिम भाग-5* की तिब्बती लोक कथा 'राख की रस्सी' का एक सवाल है— इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। है न सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। यह अभ्यास इस लोक कथा में वर्णित लड़की की सूझबूझ और बुद्धि कौशल की ओर सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करता है। साथ ही अत्यंत सहजता से यह संदेश भी देता है कि लड़कियाँ किसी भी कार्य में लड़कों से पीछे नहीं हैं। लोक कथा में लड़की ही बालक भोला को उसकी सभी समस्याओं का हल सुझाती है। लैंगिक भेदभाव व रिमझिम की रचनाएँ यद्यपि प्राथमिक स्तर की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करने के उपरांत स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होता है कि इनमें जेंडर समानता व महिला-सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बड़े ही सुंदर ढंग से मुखरित गया किया है। जेंडर समानता व महिला-सशक्तिकरण के अनेक उदाहरण *रिमझिम श्रृंखला* की पाठ्यपुस्तकों में अनेक स्थानों पर दृष्टव्य होते हैं। लेकिन फिर भी पाठ्यपुस्तकों में कुछ स्थान ऐसे भी मौजूद हैं जिनमें स्पष्ट रूप से लैंगिक पूर्वाग्रह व भेदभाव की झलक प्रदर्शित होती है और जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। *रिमझिम भाग-3* के पाठ 'जब मुझको साँप ने काटा' में लेखक की नानी साँप से डर कर चीखती हुई प्रदर्शित की गई है जो अपनी सहायता हेतु लेखक के नाना को बुलाती है। यह घटना उस रुढ़िवादी मानसिकता को मज़बूती प्रदान करती है जिसके तहत स्त्रियाँ स्वभाव से ही डरपोक होती हैं और मुश्किल परिस्थिति में घबरा कर पुरुषों की मदद चाहती हैं। *रिमझिम भाग-3* के ही पाठ 'मिर्च का मजा कविता' में 'काबुल का मर्द' शब्द का प्रयोग निश्चय ही एक रुढ़िवादी मानसिकता को उजागर करता है, जिसके तहत मर्द स्वभाव से ही बहादुर, आसानी से हार न मानने वाले होते हैं। *रिमझिम भाग-4* के ही पाठ 'स्वतंत्रता की ओर' में धनी नामक एक नौ साल के बालक की कथा का वर्णन किया गया है जो अपने माता-पिता के साथ महात्मा गाँधी के साबरमती आश्रम में रहता है। पाठ में एक स्थान पर धनी की माता को रसोईघर में खाना बनाने हेतु चूल्हा फूँकते चित्रित किया गया है। इसी प्रकार *रिमझिम भाग-5* की 'ईदगाह' नामक कहानी में हामिद की दादी को एक गृहिणी के रूप में चित्रित किया गया है जिनके हाथ की अंगुलियाँ रोटियाँ बनाते हुए जल जाती हैं। इस प्रकार के उदाहरण निश्चय ही नन्हे पाठकों के कोमल मन में यह प्रश्न पैदा कर सकते हैं कि क्या खाना बनाना जैसे घरेलू काम केवल स्त्रियों के ही होते हैं? *रिमझिम श्रृंखला* की पाठ्यपुस्तकों के चित्रों का अध्ययन करने पर हम को ज्ञात होता है कि कहीं-कहीं पर पाठ्यपुस्तकों में भी कुछ ऐसे चित्र मौजूद होते हैं जिनसे स्पष्ट रूप से लैंगिक पूर्वाग्रह व भेदभाव की झलक प्रदर्शित होती है। *रिमझिम-1* के पाठ-5 में बस में बैठी एक महिला को साड़ी पहने, हाथों में चूड़ियाँ, कानों में कुंडल व माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए चित्रित किया गया है और जिसकी गोद में छोटा सा बालक रो रहा है। इस तरह के चित्र निश्चय ही समाज द्वारा निर्धारित स्त्री-पुरुष की अलग-अलग भूमिकाओं को दर्शाते हैं। इसी प्रकार *रिमझिम-2* की रचना 'बिल्ली कैसे रहने आयी मनुष्य के संग' में

© NCERT not to be republished

बिल्ली को शेर की मौसेरी बहन के रूप में दर्शाया गया है। इसमें बिल्ली शेर की आज्ञा का पालन करते हुए उसके लिए भोजन की व्यवस्था करती है। चित्र में भी बिल्ली जो कि एक स्त्री पात्र की भूमिका में है उसको पानी भरते व शेर के भोजन के लिए पत्तल बिछाते दिखाया गया है। *रिमझिम-3* की रचना 'क्योंजीमल और कैसे किसलिए' के एक चित्र में पुरुष को बाज़ार से सामान लाते और महिला को चूल्हे पर रोटी बनाते प्रस्तुत किया गया है जो निश्चय ही नारी की परंपरागत रुढ़िवादी छवि प्रस्तुत करता है। ऐसे में पाठ पढ़ाते समय अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार के चित्रों पर बच्चों से बातचीत की जा सकती है कि क्या रोटी बनाने जैसे घरेलू काम करना केवल महिलाओं का ही उत्तरदायित्व होता है?

जेंडर समावेशन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव

- महिला रचनाकारों द्वारा रचित रचनाओं को पाठ्यपुस्तकों में उचित स्थान मिलना चाहिए ताकि साहित्यकारों के परिप्रेक्ष्य में उनका भी पाठ्यपुस्तकों में समुचित जेंडर प्रतिनिधित्व हो।
- पाठ्यपुस्तकों में जेंडर संबंधित मुद्दों को आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, तभी उनसे संबंधित विविध पक्षों पर सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण संभव हो सकेगा।
- सामाजिक परिवर्तनों को दृष्टिगत करते हुए नवीन घटनाओं और महिलाओं की उपलब्धियों का समावेश पाठ्यपुस्तकों में करना अपेक्षित है।
- समय-समय पर पाठ्यपुस्तकों की सामग्री में गुणवत्ता व प्रासंगिकता की दृष्टि से बदलाव करते रहना चाहिए, जिससे जेंडर संवेदनशील पाठ्यपुस्तकों का निर्माण संभव हो सके।
- पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं को मात्र एक आदर्श पत्नी व कुशल गृहिणी के रूप में चित्रित न किया जाए बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों, यथा— शिक्षा, खेल, चिकित्सा, अंतरिक्ष आदि में भी उनके योगदान को उचित स्थान दिया जाए।
- चूँकि, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों व गतिविधियों की बहुत अहम भूमिका होती है। अतः चित्र व अभ्यास प्रश्न महिला-सशक्तिकरण व जेंडर-संवेदनशीलता के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने वाले होने चाहिए।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि यद्यपि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्मित प्राथमिक स्तर की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तकें जेंडर समावेशन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। इसके साथ ही जेंडर समानता की भावना को बढ़ावा भी देती हैं लेकिन फिर भी लैंगिक पूर्वाग्रह व भेदभाव के भी कुछ उदाहरण *रिमझिम श्रृंखला* की पाठ्यपुस्तकों में दृष्टव्य होते हैं। ऐसे उदाहरणों पर अध्यापकों के द्वारा बच्चों से पढ़ाते समय विशेष रूप से चर्चा की जानी चहिए जिससे बच्चों में जेंडर के प्रति नकारात्मक मूल्य विकसित न हो जाए। आज के बच्चे ही कल के भावी नागरिक होंगे जिनको अपने भावी जीवन में भाई, पति, पिता आदि की महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह भी करना होगा। इस तरह इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तकों में केवल रचनाएँ समाहित कर देने से ही विद्यार्थियों

© NCERT not to be republished

में जेंडर संवेदनशीलता विकसित नहीं की जा सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि उन रचनाओं पर बच्चों से भरपूर चर्चा भी की जाए। जब तक अध्यापक अभ्यास व गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे, बच्चों से इन पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक ठोस रूप से कुछ हासिल नहीं होगा। निःसंदेह ही बच्चों में मूल्यों के विकास में अध्यापकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है जिसको नाकारा नहीं जा सकता।

संदर्भ

निरंतर ट्रस्ट. 2010. *जेंडर एवं शिक्षा रीडर. वॉल्यूम 1 और 2*, निरंतर ट्रस्ट, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2006. *रिमझिम भाग-1*. कक्षा 1 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2007. *रिमझिम भाग-2*. कक्षा 2 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2006. *रिमझिम भाग-3*. कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2007. *रिमझिम भाग-4*. कक्षा 4 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2008. *रिमझिम भाग-5*. कक्षा 5 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

पाण्डेय, लता. 2013. *जेंडर संवेदनशीलता* और रिमझिम श्रृंखला. *प्राथमिक शिक्षक*. 37 (4) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

सिंह, इंद्रदेव. 2020. *लिंग, स्कूल एवं समाज*. ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी पब्लिकेशन, पटियाला.

सेन, इलीना. 2018. *धर्म और जेंडर. धर्म संस्था के जरिए जेंडरगत मानस का निर्माण*. राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली.

श्रीवास्तव, अंजना. 2016. *भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव*. राखी प्रकाशन, आगरा.

© NCERT not to be republished